कृषि ऋण

कितना सार्थक ?

नगेन्द्र सिंह

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज)
फोन / फैक्स : 0141– 238 5254
ईमेल– info@barcjaipur.org
वेब – www.barcjaipur.org

© बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रथम संस्करण : मई 2010

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : नित्य काँति एसोसिएट्स
राजापार्क, जयपुर

अनुक्रम

क्र. सं	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	
2.	ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण	
3	ग्रामीण ऋण की आवश्यकता	
4	ऋण के स्त्रोत	
5	कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण	
6	राष्ट्रीय कृषक ऋण योजना	
7	ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने के उपाय	
8	बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र का अध्ययन	
9	अध्ययन क्षेत्र के किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति	
10	अध्ययन क्षेत्र में किसानों के पशुधन की स्थिति	
11	अध्ययन क्षेत्र में फसल के लिए संस्थागत की ऋण स्थिति	
12	अध्ययन क्षेत्र में फसल के लिए गैर–संस्थागत की ऋण स्थिति	
13	अध्ययन क्षेत्र में फसल उत्पादन लागत की स्थिति	
14	अध्ययन क्षेत्र में फसल आय की स्थिति	
15	निष्कर्ष	
16	सुझाव	
17	अनुभव	
18	फॉर्म बजट – फॉर्म योजना	
19	वितरित किसान क्रेडिट कार्ड एवं वितरित राशि	

तालिका सूची

क्र. सं	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	किसानों की जातिगत स्थिति	
2	किसानों की शैक्षणिक स्थिति	
3	किसानों की असिंचित एवं सिंचित स्वयं की भूमि	
4	कसानों की असिंचित एवं सिंचित बंटाई की भूमि	
5	सिचांई का मुख्य साधन	
6	पशुधन	
7	पशुओं की कीमत	
8	प्रति दिन प्रति पशु चारे पर व्यय	
9	पशुओं का औसत दूध उत्पादन	
10	किसान ने औसतन स्वयं के लिए कितना दूध रखा	
11	किसान ने औसतन कितना दूध विक्रय किया	
12	पशुपालन से किसानों की औसतन वार्षिक आय	
13	पिछले एक वर्ष में किसान द्वारा किया गया फसल उत्पादन	
14	कृषि उत्पादन हेतु धन की व्यवस्था	
15	किसान के पास जमा पूंजी की स्थिति	
16	कृषि उत्पादन में धन की व्यवस्था हेतु	
17	ऋण सुविधओं के बारे में जानकारी मिलनें का स्रोत	
18	ऋण आवेदन प्रक्रिया के बारे में उचित जानकारी	
19	पिछले वर्ष संस्थानों में ऋण हेतु आवेदन किया	

क्र. सं	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
20	किसान ने पिछले वर्ष रबी की फसल हेतु आवेदन किया	
21	पिछले वर्ष खरीफ की फसल हेतु आवेदन किया	
22	पिछले वर्ष रबी की फसल हेतु राशि मिली	
23	पिछले वर्ष खरीफ की फसल हेतु राशि मिली	
24	खरीफ फसल के लिए ऋण के लिए आवेदन किया	
25	आवेदन के कितने दिनों बाद ऋण मिला	
26	बैंक ब्याज दर	
27	ऋण राशि मय ब्याज चुकाने की स्थिति	
28	सही समय पर नहीं चुकाने का कारण	
29	वित्तिय संस्थान द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही	
30	किसान गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण की स्थिति	
31	गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण लेने का कारण	
32	गैर–संस्थागत माध्यमों में ब्याज दर	
33	ऋण प्राप्ति हेतु पास गिरवी रखते हैं	
34	ऋण को नियत समय पर लौटा पाते है	
35	ऋण राशि का अधिकतम उपयोग	
36	कृषि विधि	
37	खरीफ फसल की प्रति बीघा औसत लागत एवं आय	
38	रबी फसल की प्रति बीघा औसत लागत एवं आय	

भूमिका

भारत की तरह राजस्थान की भी लगभग दो तिहाई जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। जनगणना 2001 के अनुसार राज्य में 2 करोड़ 62 लाख 80 हजार 132 किसान हैं इस में से 1 करोड़ 41 लाख 25 हजार 452 पुरूष (लगभग 53.75 प्रतिशत) एवं 1 करोड़ 21 लाख 54 हजार 680 महिला (लगभग 46.25 प्रतिशत) किसान हैं। राज्य में 53 लाख 63 हजार 530 जोत हैं। इसमें से 70 प्रतिशत छोटी जोत है जिसके अतंर्गत 30 प्रतिशत भूमि है तथा 30 प्रतिशत बड़ी जोत है जिसके अतंर्गत 70 प्रतिशत जमीन हैं छोटे किसान को बड़े किसान की तुलना में खेती करने के लिए अधिक ऋण की आवश्यकता होती हैं। बड़े किसान के पास पर्याप्त बचत होती है इसलिए बड़े एवं सम्पन्न किसान को लघु ऋण की आवश्यकता कम होती है, परन्तु छोटे किसान को न तो कृषि ऋण पर्याप्त मात्रा में ही उपलब्ध होता है और न ही सही व्यक्ति को सही समय पर मिलता हैं। कृषि की प्रकृति ऐसी विचित्र है कि कृषि को केवल उत्पादक ऋणों की ही नहीं वरन अनुत्पादक ऋणों की भी आवश्यकता होती हैं। उन्हें चालू खर्चों–बीज, खाद, मजदूरी भुगतान व लगान आदि चुकाने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती हैं। वर्ष 2008–09 में देश में 2 लाख 80 हजार करोड़ रू के लक्ष्य की तुलना में 2 लाख 92 हजार 434 करोड़ रू का ऋण वितरित किया। इसी प्रकार राज्य में किसानों को वर्ष 2009–10 व 2010–11 के लिए क्रमसः 3 हजार 227.70 करोड़ व 5 हजार करोड़ करोड़ रू ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। सरकार द्वारा भारी मात्रा में ऋण वितरण के बाद भी अधिकाशं किसान इस ऋण का उत्पादक कार्यो के लिए उपयोग न करने के कारण तथा खेती से पर्याप्त मात्रा में आय न होने के कारण किसान ऋण बोझ से दबे हुए हैं।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण

राज्य में ग्रामीण ऋण ग्रसता के कई कारण है, जिनमें निम्न प्रमुख हैंः–

कम आय व निर्धनता – ग्रामीण ऋणग्रस्तता का सबसे प्रमुख व महत्वपूर्ण कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आय का कम होना एवं उनके पास विपदा के लिए कोई कोष न होना हैं। इसका परिणाम यह होता है कि असाधारण विपदा में ऋण लेना पड़ता है, जिसकों वे अपनी कम आय होने के कारण लौटा नहीं पाते हैं और सदा ऋणग्रस्त बने रहते हैं।

पैतृक ऋण – ग्रामीणों को यह ऋण विरासत में मिलते हैं जो पीढ़ी दर पीढी चलते हैं। ऐसा होने से वे ऋणें को लेना बुरी बात नहीं मानते हैं और उनकी यह मनोवृति ऋण लेने के लिए प्रेरित करती है।

सामाजिक व्यय – भारतीय कृषक सादा जीवन बिताता है, लेकिन सामाजिक रूढ़ियों में जकड़ा होने के कारण बेकार के व्ययों से बच नहीं सकता है और उसको जन्म, मृत्यु, शादी–विवाह आदि पर अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार व्यय करना पड़ता है जिसको पूरा करने के लिए ऋण लेना ही पड़ता है।

मंहगाई में वृद्धि – पिछले पन्द्रह वर्षों में सामान्य मंहगाई में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन किसान के कृषि उत्पाद की कीमत उस अनुपात में नहीं बढ़ी है जिस अनुपात में मूल्य स्तरों मे वृद्धि हुई हैं। परिणामस्वरूप उनकों व्यय की पूर्ति हेतु ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है।

भूमि पर जनसंख्या के भार में वृद्धि – भूमि पर जनसंख्या के भार में वृद्धि होने से खेत छोटे–छोटे टुकडों में बंट जाता है तो पूरे परिवार के पेट भरने तक के लिए भी खाद्यान का उत्पादन नहीं हो पाता हैं। फलतः ऋण लेकर ही काम चलाया जाता है।

अन्य कारण :– ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणग्रस्तता के अन्य कारण भी हैं।

- भूमि का मूल्य बढ़ने से कृषक की ऋण प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि।
- गांवों में व्यवस्थित बाजार का अभाव जहां कृषक उचित मूल्य पर अपनी उपज बेच सकें।
- भूमि के छोटे टुकड़ों पर कृषि का अनार्थिक होना।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुद्रा का उचित स्थान मिलना।

ग्रामीण ऋण की आवश्यकता

अल्पकाली ऋण – इसके अनतर्गत खेतीबाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 15 माह से भी कम समय के लिए धन की आवश्यकता पड़ती हैं। बीज, उर्वरक तथा पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए अल्पकालीन ऋण की मांग की जाती है।

मध्यकालीन ऋण – इसके अन्तर्गत भूमि सुधार करने के लिए पशु खरीदने के लिए तथा कृषि उपकरण प्राप्त करने के लिए 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए प्राप्त किए गए ऋणों को शामिल किया जाता है।

दीर्घकालीन ऋण – इसके अन्तर्गत भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने, पुराने ऋणों का भुगतान करने तथा महंगे कृषि यन्त्र खरीदने के लिए 5 वर्ष से अधिक समयावधि के ऋणों को सम्मिलित किया जाता हैं।

ऋण के स्त्रोत

भारत में किसान अपनी उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दो प्रकार के स्त्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं – गैर संस्थागत स्त्रोत, संस्थागत स्त्रोत।

- **गैर संस्थागत स्त्रोत** – साहूकार, व्यक्ति सम्बन्धी एवं भू–स्वामी आदि को सम्मिलित किया जाता हैं। वर्तमान में 35 प्रतिशत ऋण गैर – संस्थानगत स्त्रोत से उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **संस्थागत स्त्रोत** – सरकार, सहकारी समितियों तथा वाणिज्यिक बैंकों आदि को सम्मिलित किया जाता हैं। वर्तमान में 65 प्रतिशत ऋण संस्थागत स्त्रोत से उपलब्ध कराए जाते है।

कृषि ऋण की कुल राशि 1992–93 में 15769 करोड रू. थी जो 2006–07 में बढ़कर 2,3297 करोड़ रू. हो गइ। जबकि 2007–08 के अंतर्गत 2,43569 करोड रू. के ऋण उपलब्ध कराए गए थे। कृषि को दिए कुल संस्थानात्मक ऋण में अल्पकालिन ऋण का अंश 2007–08 में 64 प्रतिशत जबकि मध्यम तथा दीर्घकालिन ऋण का अंश 36 प्रतिशत अनुमानित किया गया था। कुल संस्थगात ऋण में सहकारी बैंकों का अंश 21 प्रतिशत, वाणिज्यिक बैकों 69 प्रतिशत तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अंश 10 प्रतिशत अनुमानित किया गया है।

कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले संस्थागत ऋण

केन्द्र सरकार द्वारा तय की गई नीति के तहत निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र के बैंकों को अपने कुल ऋणों का 40 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता हैं। कुल ऋण राशि का 18 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराने का भी प्रावधान ऋ़ण नीति में शामिल हैं।

राष्ट्रीय कृषक ऋण योजना

क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूज लोन स्कीम – किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने तक उपज को रोकने में सक्षम बनाने के लिए कॉर्पोरेशन बैंक द्वारा एक नई कृषि ऋण योजना 1 अप्रैल 2005 से प्रारम्भ गई हैं। क्रॉप एग्रीकल्चर प्राड्यूस लोन नाम की यह ऋण योजना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आफ इंडिया के सहयोग से प्रारम्भ की गई। इस ऋण योजना के चलते किसान अपनी उपज का सेंट्रल वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन अथवा स्टेट वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरशन के किसी गोदाम में भंडारण करके उसकी रसीद के आधार पर कॉर्पोरशन बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना – वर्ष 1998–99 में शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को अधिक ऋण दिलाने में सफल रही हैं। वर्ष 2002 में किसान क्रेडिट कार्ड से संबद्ध वैयक्तिक बीमा पैकेज कार्यान्वित किया गया हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत वितरित ऋण भी साधारण बीमा निगम की राष्ट्रीय कृषि बीमा येाजना के अधीन लाए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्डधारकों को मृत्यु पर 100,000 रू. और स्थायी विकलांगता पर 75,000 रू की वैयक्तिक दुर्घटना बीमा रक्षा दी गई हैं। वर्ष 2007–08 के दौरान जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड कार्डों की कुल संख्या 85.11 लाख थी, जिसमें 46,729 करोड़ रू. की स्वीकृत राशि थी। नवम्बर 2007 तक स्वीकृत राशि 25,263 करोड़ रू. थी।

किसानों के लिए ऋण माफी योजना – 2008–09 के केन्द्रीय बजट में छोटे एवं सीमांत किसानों के 60,314 करोड़ रू. के ऋणों की माफी की घोषणा की गई थी। यह योजना 2008 में पूरी हो गई हैं। सरकार इस योजना का विस्ताार करते हुए किसानों को खाद, बैलगाड़ी, पम्पसेट और पशुओं की खरीद आदि जैसे कार्यों के लिए दिए गए ऋणों को भी ऋण माफी योजना के तहत शामिल हैं। इस ऋण माफी की राशि 60,314 करोड़ रू. से बढ़कर 71,680 करोड़ रू. हो गई है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता को दूर करने के उपाय

पुराने ऋणों की समाप्ति – प्रान्तीय सरकारों ने समय समय पर पुराने ऋणों को समाप्त करने के उद्देश्य से कानून बनाए हैं। 1879 में क्षेत्रीय कृषक राहत अधिनियम पास किया गया। 1934 में "पंजाब ऋण समझौता अधिनियम" पास किया गया जिसमें ऋणदाता व ऋणी की सहमति से ऋण कम करने तथा उसे अपना बजट प्रस्तुत करते समय 10,000 रू. तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। जिसके अनुसार 7,56,088 करोड के ऋण माफ किए गए हैं जिसमें 3 करोड़ किसानों कलाकारो व कारीगरो को लाभ हुआ है।

साहूकारों पर नियंत्रण – विभिन्न राज्यों में साहूकारों व महाजनों पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये गय हैं जिनकी शुरूआत 1930 के बाद हुई हैं। इन प्रतिबन्धों में ब्याज दर पर प्रतिबन्ध उचित लेखों को रखने की अनिवार्यता एवं साहूकार व महाजनों का अनिवार्य पंजीकरण शामिल है।

सहकारी संस्थाओं का विस्तार :– भारत में इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि सरकारी साख संस्थाओं का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार किया जाए। इसके लिए सरकार इनकी पूंजी के अंश क्रय करती है, ऋण देती है तथा मार्गदर्शन करती है।

व्यावसायिक बैंकों का विस्तार :– पिछले कुछ वर्षो में सरकार की यह नीति रही है कि बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी अधिक शाखाएं खोलें। इसी का परिणाम है कि अब 51 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना – 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जारी कर 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की व्यवस्था की गई थीं, लेकिन 30 जून 1997 तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। 2007–08 में यह बढ़कर 248 हो गए हैं। ह बैंक छोटे कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, दस्तकारों आदि के लिए खोले गए हैं।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा अध्ययन

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा राज्य में ऋण ग्रस्त किसानों का अध्ययन किया। यह अध्ययन राज्य के 10 जिलों में किया गया। प्रत्येक जिले से 2 तहसील का चयन किया गया और प्रत्येक तहसील से 10 किसानों का चयन किया गया। इस प्रकार कुल 200 किसानों का सर्वे किया गया। इस अध्ययन के लिए तहसीलों का चयन ग्रामीण साक्षरता, खेतों का आकार, वित्तिय संस्थान, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, किसान की ऋणग्रस्ता का स्तर, जातिगत भेदभाव आदि को ध्यान में रख कर किया गया।

इस अध्ययन का उद्धेश्य यह था कि किसान कहां से ऋण लेता हैं ऋण के स्रोत क्या–क्या हैं। वह सस्थांगत ऋण लेता हैं या गैर–संस्थागत ऋण लेता हैं। किसान इस ऋण का कहां उपयोग करते

है। किसान इस ऋण का उपयोग कृषि कार्य के लिए करते हैं या गैर– कृषि कार्य के लिए करते हैं तथा कृषि से कितना लाभ हैं यह देखा गया।

अध्ययन क्षेत्र के किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति

तालिका–1

किसानों की जातिगत स्थिति

	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	17	8.50
ओ.बी.सी.	92	46.00
एस.सी.	53	26.50
एस.टी.	38	19.00
	200	100.00

तालिका स. 1 के अनुसार अध्ययन में 200 किसानों का साक्षात्कार लिया गया। इसमें से सामान्य वर्ग से 8.50 प्रतिशत, ओबीसी वर्ग के 46.00 प्रतिशत, एससी वर्ग के 26.50 प्रतिशत तथा एसटी वर्ग के 19.00 प्रतिशत किसान थे। इस तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य में अधिकतर खेती के कार्य अन्य पिछडा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के किसानों द्वारा किया जाता हैं।

तालिका–2

किसानों की शैक्षणिक स्थिति

स्तर	संख्या	प्रतिशत
स्नातकोत्तर	3	1.50
स्नातक	8	4.00
उच्च माध्यमिक	13	6.50
माध्यमिक	19	9.50
उच्च प्राथमिक	27	13.50
साक्षर	42	21.00
निरक्षर	88	44.00

इस अध्ययन से हमने यह भी जानने की कोशिश कि किसानों का शैक्षणिक स्तर क्या है तो यह निष्कर्ष निकलकर आया की 44.00 प्रतिशत किसान निरक्षर हैं। 21.00 प्रतिशत किसान साक्षर है जो केवल

हस्ताक्षर कर सकते हैं। 5.5 प्रतिशत किसान उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं। 6.5 प्रतिशत किसान उच्च माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की हैं। 9.50 प्रतिशत किसानों ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हैं। 13.50 प्रतिशत किसानों ने उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की हैं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभी भी किसानों का एक बडा समुह निरक्षर है

तालिका–3

किसानों की असिंचित एवं सिंचित स्वयं की भूमि

	असिंचित		सिंचित	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1 हैक्टर से कम	6	11.32	12	9.30
1 से 2 हैक्टर	13	24.53	38	29.46
2 से 10 हैक्टर	28	52.83	75	58.14
10 हैक्टर से ज्यादा	6	11.32	4	3.10

इस अध्ययन में देखा की 11.32 प्रतिशत किसान के पास 1 हैक्टर से कम असिंचित स्वयं की जमीन हैं। 24.53 प्रतिशत किसान के पास 1 से 2 हैक्टर असिंचित स्वयं की जमीन हैं। 52.83 प्रतिशत किसान के पास 2 से 10 हैक्टर तक जमीन तथा 11.82 प्रतिशत किसान के पास 10 हैक्टर से अधिक जमीन हैं।

9.30 प्रतिशत किसानों के पास 1 हैक्टर से कम स्वयं की सिंचित खेत हैं। 29.46 प्रतिशत किसानों के पास 1 से 2 हैक्टर का स्वयं का सिंचित खेत हैं। 58.14 प्रतिशत किसानो के पास 2–10 हैक्टर तक सिंचित स्वयं का खेत हैं तथा मात्र 3.10 प्रतिशत किसानों के पास 10 हैक्टर से अधिक स्वयं का सिंचित खेत हैं।

तालिका–4

किसानों की असिंचित एवं सिंचित बंटाई की भूमि

	असिंचित		सिंचित	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1 हैक्टर से कम	0	0.00	1	8.33
1 से 2 हैक्टर	4	66.67	2	16.67
2 से 10 हैक्टर	2	33.33	9	75.00
10 हैक्टर से ज्यादा	0	0.00	0	0.00

1 हैक्टर से कम असिंचित बटाई की जमीन का कोई किसान नहीं हैं। 66.67 प्रतिशत किसान ऐसे थे जिनके पास 1–2 हैक्टर असिंचित बटाई की जमीन हैं। 33.33 प्रतिशत ऐसे किसान थे जिनके पास 2–10 हैक्टर असिंचित बटाई की जमीन हैं। 10 हैक्टर से अधिक असिंचित बटाईदार कोई किसान नहीं हैं। एक हैक्टर से कम असिंचित बटाई पर लेना किसान के लिए लाभदायक नहीं हैं।

8.33 प्रतिशत किसान के पास 1 हैक्टर तक बटाई का सिंचित खेत हैं। 16.67 प्रतिशत किसान के पास 1–2 हैक्टर सिंचित बटाई का खेत हैं। 75 प्रतिशत किसान के पास 2–10 हैक्टर सिंचित बटाई का खेत हैं तथा 10 हैक्टर से अधिक किसी भी किसान के पास सिंचित बटाई का खेत नहीं हैं। 10 हैक्टर से अधिक की भूमि बटाई पर नहीं मिलती किसान स्वयं खेती करता हैं।

तालिका–5

सिचांई का मुख्य साधन

	संख्या	प्रतिशत
बरसात	59	29.50
कुआं	104	52.00
नहर	13	6.50
दूसरे से पानी लेकर	24	12.00

किसानों के सिंचाई का मुख्य साधन कुआं हैं। इस अध्ययन में देखा कि 52 प्रतिशत सिंचाई कुओं द्वारा होती है तथा 12 प्रतिशत दूसरे के कुए से पानी लेकर सिंचाई करते हैं। इस प्रकार कुओं द्वारा 64 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई होती हैं। 29.50 प्रतिशत सिंचाई बरसात के द्वारा होती हैं अर्थात इनके पास सिंचाई का साधन नही हैं। हम यह भी कह सकते है कि 41.5 प्रतिशत किसानों के पास सिंचाई का साधन नहीं हैं। ये बरसात पर ही निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार 6.50 प्रतिशत सिंचाई नहर द्वारा होती हैं।

अध्ययन क्षेत्र में किसानों के पशुधन की स्थिति

तालिका–6

किसान के पास पशुधन

	संख्या	प्रतिशत
गाय	112	36.58
भैस	118	37.58
बकरी	37	11.78
बैल	23	7.52
भेड़	1	0.64
घोडा	2	0.64
ऊँट	5	1.57
कुछ भी नहीं	16	5.10

इस अध्ययन से हमने यह भी देखा कि किसानों के पास कितना पशुधन हैं तो इस अध्ययन से निकलकर आया की 35.68 प्रतिशत गाय, 37.58 प्रतिशत भैंस, 11.78 प्रतिशत बकरी, 7.32 प्रतिशत बैल, 0.64 प्रतिशत भेड़, 0.64 प्रतिशत घोड़ा तथा 1.57 प्रतिशत किसान ऊँट रखते हैं। अध्ययन क्षेत्र में सबसे ज्यादा भैंस एवं गाय है इसके बाद बकरी हैं। भैंस एवं गाय रखने से आजीविका भी चलती हैं।

तालिका–7

पशुओं की कीमत

राशि (रू. में)

गाय	6296
भैस	19880
बकरी	1680
बैल	10545
भेड़	1500
घोड़ा	9000
ऊँट	19500

इस अध्ययन से हमने यह भी जानने की कोशिश की कि किसान के पशु की औसत कीमत क्या हैं। अध्ययन से यह निकलकर आया की गाय की औसत कीमत 6296 रूपये, भैंस की औसत कीमत 19880 रूपये, बकरी की औसत कीमत 1680 रूपये, बैल की औसत कीमत 10545 रूपये, भैड की औसत कीमत 1500 रूपये, घोड़े की औसत कीमत 9500 रूपये तथा ऊँट की औसत कीमत 19500 रूपये हैं।

तालिका–8

प्रति दिन प्रति पशु चारे पर व्यय

राशि रू में

	गाय	**भैस**	**बकरी**	**बैल**	**भेड़**	**घोड़ा**	**ऊँट**
सुखा चारा	36	46	30	33	30	40	40
हरा चारा	14	14	9	10	10	10	21
पशु आहार	43	50	17	20	18	0	25
योग	93	110	56	63	58	50	86

इस अध्ययन से हमने यह भी निकालने की कोशिश की कि प्रति पशु चारे पर कितना व्यय हैं। अध्ययन से यह निकलकर आया कि गाय के लिए औसतन व्यय 93 रूपये प्रतिदन हैं। भैंस के लिए 110 रूपये प्रतिदिन व्यय हैं। बकरी के लिए 56 रूपये प्रतिदिन व्यय हैं। बैल के लिए 63 रूपये प्रतिदिन व्यय हैं। भैड के लिए प्रतिदिन व्यय 58 रूपये हैं। घोड़े पर प्रतिदिन व्यय 50 रूपये है तथा ऊँट के लिए प्रतिदिन व्यय 86 रूपये हैं।

तालिका–9

पशुऔ का औसत दूध उत्पादन

	संख्या	प्रतिशत
1 किलो तक	12	6.00
1 से 2 किलो	14	7.00
2 से 5 किलो	36	18.00
5 से 10 किलो	46	23.00
10 किलो अधिक	20	10.00
कोई उत्पादन नही	72	36.00

हमने इस अध्ययन में किसानों के पास पशुओं का भी अध्ययन किया। प्रथम तो हमने यह जाने की कोशिश की पशुओं का औसत दूध उत्पादन कितना हैं। 6 प्रतिशत किसानों के पशुओं का औसत दूध उत्पादन 1 किलो तक का हैं 7 प्रतिशत किसानों के पशुओं का औसत दूध उत्पादन 1–2 किलो हैं । 18 प्रतिशत किसानों के पशुओं का औसत दूध उत्पादन 2–5 किलो हैं। 23 प्रतिशत किसानों के पशुओं का औसत दूध उत्पादन 5–10 किलो हैं। 10 प्रतिशत किसानों के पशुओं का औसत दूध उत्पादन 10 किलो से अधिक हैं तथा 36 प्रतिशत किसानों के पास हैं तो पशुधन नहीं हैं या दूध का उत्पादन नहीं होता हैं।

तालिका–10

किसान ने औसतन स्वयं के लिए कितना दूध रखा

	संख्या	प्रतिशत
1 किलो तक	6	3.00
1 से 2 किलो	16	8.00
2 से 5 किलो	46	23.00
5 से 10 किलो	40	20.00
10 किलो से अधिक	20	11.00
कोई बचत नही	72	35.00

इस अध्ययन में हमने यह देखा की किसान ने अपने स्वयं के लिए औसत कितना दूध रखता हैं। इसमें यह पाया गया कि 3 प्रतिशत किसान 1 किलो तक दूध रखते हैं। 8 प्रतिशत किसान 1 से 2 किलो तक दूध रखते हैं। 23 प्रतिशत किसान 2 से 5 किलो दूध रखते हैं। 20 प्रतिशत किसान 5–10 किलो दूध रखते हैं। 11 प्रतिशत किसान 10 किलो से अधिक अपने स्वयं के पास रखते हैं तथा 35 प्रतिशत ऐसे किसान है जिनके पास दूध की कोई बचत नहीं होती।

तालिका–11

किसान ने औसतन कितना दूध विकय किया

	संख्या	प्रतिशत
1 किलो तक	3	2.34
1 से 2 किलो	12	9.38
2 से 5 किलो	29	22.66
5 से 10 किलो	11	8.59
10 किलो अधिक	4	3.13
कुछ नहीं बेचा	69	53.91

इस अध्ययन से हमने यह भी जानने की कोशिश की कि राज्य में पशुपालक औसतन कितना दूध विक्रय करते हैं।

अध्ययन से यह निकल कर आया की 2.24 प्रतिशत किसान 1 किलो तक दूध विक्रय करते हैं। 9.38 प्रतिशत किसान 1 से 2 किलो दूध का विक्रय करते हैं। 22.66 प्रतिशत किसान 2 से 5 किलो दूध का विक्रय करते हैं। 5.59 प्रतिशत किसान 5 से 10 किलो दूध का विक्रय करते हैं। 3.13 प्रतिशत किसान 10 किलो से अधिक दूध का विक्रय करते हैं लेकिन 53.91 प्रतिशत किसान कुछ भी दूध का विक्रय नहीं करते या दूध का उत्पादन नही होता।

तालिका–12

पशुपालन से किसानों की वार्षिक औसतन आय

	संख्या	प्रतिशत
रू. 10000 तक आय	13	22.03
रू. 10000 से 30000 तक	9	15.25
रू. 30000 से 50000 तक	7	11.86
रू. 50000 से अधिक	4	6.78
कोई आय नही	26	44.07

इस अध्ययन से हमने यह भी जानने की कोशिश की कि पशुपालन से किसानों को प्रतिवर्ष औसतन कितनी आय हुई। 22.03 प्रतिशत किसानों की आय 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष थी। 15.25 प्रतिशत किसानों की आय 10–30 हजार रूपये प्रतिवर्ष थी। 11.86 प्रतिशत किसानों की आय 30–50 हजार तक थी। 6.78 प्रतिशत किसानों की आय 50 हजार से अधिक थी। लेकिन 44.07 प्रतिशत किसानों की पशुपालन से कोई आय नहीं थी।

अध्ययन क्षेत्र में फसल के लिए संस्थागत की ऋण स्थिति

तालिका–13

पिछले एक वर्ष में किसान द्वारा किया गया फसल उत्पादन

	संख्या	प्रतिशत
रबी	6	3.00
खरीफ	42	21.00
दोनो	152	76.00

इस अध्ययन से हमने यह देखने की कोशिश की कि पिछले एक वर्ष में किसान ने किस फसल का उत्पादन किया। इस अध्ययन से यह निकल कर आया कि केवल रबी की फसल की बुवाई 3 प्रतिशत किसान करते हैं। केवल खरीफ फसल की बुवाई 21 प्रतिशत किसान बुवाई करते है तथा रबी एवं खरीफ फसल की बुवाई 76 प्रतिशत किसान करते हैं।

तालिका–14

कृषि उत्पादन हेतु धन की व्यवस्था

	संख्या	प्रतिशत
स्वयं के पास जमा पूंजी से	39	19.50
वित्तीय संस्थाओं से	153	76.50
गैर संस्थागत माध्यमों से	6	3.00
अन्य किसी माध्यम से	2	1.00

इस अध्ययन से हमने यह जानने की कोशिश की कि किसान कृषि कार्य के लिए धन की व्यवस्था कहां से करते हैं। इस अध्ययन से यह निकल कर आया कि 19.50 प्रतिशत किसान स्वयं की जमा पूंजी से, 76.50 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं से, 3 प्रतिशत गैर–संस्थागत माध्यम से तथा 1 प्रतिशत अन्य किसी माध्यम से कृषि कार्य के लिए धन की व्यवस्था करते हैं।

तालिका–15

किसान के पास जमा पूंजी कहां से प्राप्त हुई

	संख्या	प्रतिशत
पिछले आय	37	94.87
पैतृक आय	2	5.13
अन्य किसी प्रकार से	0	0.00

इस अध्ययन से हमने यह जानने की कोशिश की कि किसान के पास जमा पूंजी कहाँ से प्राप्त हुई। इस अध्ययन से यह निकल कर आया कि 94.87 प्रतिशत जमा पूंजी पिछले आय से प्राप्त की गई तथा 5.13 प्रतिशत जमा पूंजी पैतृक आय से प्राप्त की गई।

इस अध्ययन से यह निकलकर आया की 35 प्रतिशत किसानों के पास जमा पूंजी नगदी के रूप में हैं। 50 प्रतिशत किसान स्वयं की जमा पूंजी जमीन या मकान के रूप में रखते हैं। 14.50 प्रतिशत अन्य किसी रूप में अपनी जमा पूंजी रखते हैं।

तालिका–16

कृषि उत्पादन में धन की व्यवस्था हेतु

	संख्या	प्रतिशत
सम्पति को गिरवी रखकर	14	7.00
सम्पति को बेचकर	0	0.00
अन्य किसी प्रकार से	186	93.00

इस अध्ययन से हमने यह जानने की कोशिश की कि कृषि उत्पादन में धन की व्यवस्था हेतु आप अपनी सम्पत्ति को किस प्रकार उपयोग में लेते हैं। इस अध्ययन से यह निकलकर आया कि 7 प्रतिशत लोग धन की व्यवस्था हेतु सम्पत्ति को गिरवी रखकर करते हैं। 93 प्रतिशत लोग अन्य किसी प्रकार से उपयोग करते हैं।

तालिका–17

ऋण सुविधओं के बारे में जानकारी मिलनें का स्रोत

	संख्या	प्रतिशत
स्वयं सेवी संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों द्वारा	0	0.00
वित्तीय संस्थाओं के द्वारा	131	65.5
सरकारी संस्थाओं	66	33.00
रिश्तेदारों, पडोसी, ग्रामीणों या मित्रो द्वारा	3	1.50

इस अध्ययन से जानने की कोशिश की गई कि वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली ऋण सुविधा के बारे में आपको जानकारी कहां से प्राप्त हुई। स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। राज्य में कोई भी स्वयं सेवी संस्था किसानों के ऋण के लिए कार्य नहीं कर रही। इसकी जानकारी वित्तीय संस्थाओं से तथा मित्रों से प्राप्त हुई।

तालिका–18

ऋण आवेदन प्रक्रिया के बारे में उचित जानकारी दी जाती है

	संख्या	प्रतिशत
हां	178	89.00
नही	22	11.00

इस अध्ययन से यह जानने की कोशिश की गई कि क्या इन संस्थाओं द्वारा ऋण आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई? इस अध्ययन से यह निकलकर आया की 89.00 प्रतिशत किसानों को ऋण आवेदन प्रक्रिया के बारे में उचित जानकारी दी गई तथा 11 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उन्हें ऋण आवेदन प्रक्रिया में उचित जानकारी नहीं दी गई।

तालिका–19

पिछले वर्ष संस्थानों में ऋण हेतु आवेदन

फसल	हां	नही	प्रतिशत	प्रतिशत
रबी	182	18	91.00	08.00
खरीफ	179	21	89.50	10.50

इस अध्ययन से हमने यह जानने की कोशिश की कि आपने इन संस्थाओं में ऋण के लिए आवेदन किया तो इस अध्ययन से यह निकल कर आया कि 91 प्रतिशत किसानों ने रबी फसल के लिए आवेदन किया जबकि 08 प्रतिशत किसानों ने आवेदन नहीं किया तथा 89.5 प्रतिशत किसानों ने खरीफ के लिए आवेदन किया जबकि 10.5 प्रतिशत किसानों ने आवेदन नहीं किया।

तालिका–20

रबी की फसल हेतु कितनी राशि के लिए आवेदन किया

राशि	संख्या	प्रतिशत
रू. दस हजार तक	118	64.84
रू. दस हजार से पच्चास हजार तक	39	21.43
पच्चास हजार से अधिक	25	13.74

इस अध्ययन से यह जानने की कोशिश की कि किसान ने कृषि ऋण के लिए कितनी राशि के लिए आवेदन किया। इस अध्ययन से यह निकल कर आया की दस हजार तक 64.84 प्रतिशत किसानों ने आवेदन किया। दस हजार से पचास हजार तक 21.43 प्रतिशत किसानों ने आवेदन किया। पचास हजार से अधिक श्रम राशि के लिए 13.74 प्रतिशत किसानों ने आवेदन किया था।

तालिका–21

खरीफ की फसल हेतु कितनी राशि के लिए आवेदन किया

राशि	संख्या	प्रतिशत
रू. दस हजार तक	96	53.63
रू. दस हजार से पच्चास हजार तक	57	31.84
पच्चास हजार से अधिक	26	14.53

खरीफ फसल के लिए दस हजार तक 53.63 प्रतिशत किसानों ने आवेदन किया। दस हजार से पचास हजार तक 31.84 प्रतिशत किसानों ने आवेदन किया। पचास हजार से अधिक के लिए 13.74 प्रतिशत किसानों ने आवेदन किया।

तालिका–22

रबी की फसल हेतु कितनी ऋण राशि मिली

राशि	संख्या	प्रतिशत
रू. दस हजार तक	82	45.05
रू. दस हजार से पच्चास हजार तक	39	21.43
रू. पच्चास हजार से अधिक	25	13.74
नही मिला	36	19.78

इस अध्ययन से हमने यह भी देखा कि ऋण के लिए आवेदन करने वालों की तुलना में कितने किसानों को ऋण मिला तो इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकल कर आया कि रबी की फसल के लिए दस हजार तक 64.84 प्रतिशत किसानों ने आवेदन किया इसकी तुलना में 45.05 प्रतिशत किसानों को ही ऋण मिला। दस हजार से पचास हजार तक 21.43 प्रतिशत किसानों को ऋण मिला। पचास हजार से अधिक 13.74 प्रतिशत किसानों को ऋण मिला तथा 19.78 प्रतिशत किसानों को ऋण ही नहीं मिला। इस अध्ययन से स्पष्ट निकल आता है किसानों को ऋण के लिए सही प्रक्रिया नहीं अपनाने के कारण ऋण नहीं मिल पा रहा हैं।

तालिका–23

पिछले वर्ष खरीफ की फसल हेतु कितनी राशि मिली

	संख्या	प्रतिशत
रू. दस हजार तक	24	13.40
रू. दस हजार से पच्चास हजार तक	71	39.70
रू. पच्चास हजार से अधिक	33	18.40
नही मिली	51	28.50

खरीफ की फसल के लिए दस हजार तक 13.40 प्रतिशत किसानों को ऋण मिला, दस हजार से पचास हजार तक 39.7 प्रतिशत किसानों को ऋण मिला, पचास हजार से अधिक मात्र 18.4 प्रतिशत किसानों को ही ऋण मिला जबकि 28.5 प्रतिशत किसानों के ऋण नहीं मिला।

तालिका–24

खरीफ फसल के लिए कौनसे माह में ऋण के लिए आवेदन किया

	संख्या	प्रतिशत
जनवरी	14	7.82
फरवरी	9	5.03
मार्च	32	17.88
अप्रेल	14	7.82
मई	50	27.93
जून	34	18.99
जुलाई	6	3.35
अगस्त	3	1.68
सितम्बर	1	0.56
अक्टूबर	3	1.68
नवम्बर	10	5.59
दिसम्बर	3	1.68

खरीफ फसल के लिए कौनसे माह में ऋण के लिए आवेदन किया। इस अध्ययन से यह निकलकर आया कि 27.93 प्रतिशत किसानों ने मई में आवेदन किया। 18.99 प्रतिशत किसानों ने जून में आवेदन किया। 17.88 प्रतिशत किसानों ने मार्च में आवेदन किया। इस प्रकार इस अध्ययन से यह निकलकर आया कि अधिकतर किसानों को यह मालूम नहीं कि ऋण के लिए कब आवेदन करना चाहिए।

तालिका–25

आवेदन के कितने दिनों बाद ऋण मिला

	संख्या	प्रतिशत
एक माह में	1	0.58
एक माह बाद	137	68.60
दो माह बाद	53	26.74
तीन माह बाद	8	4.07
चार माह बाद	0	0.00

इस अध्ययन में हमने यह भी देखा की आवेदन के कितने दिनों बाद ऋण मिला। इस अध्ययन से यह निकलकर सामने आया की आवेदन के एक माह के अन्दर 1 प्रतिशत से कम किसानों को ही ऋण मिला। एक माह से दो माह के बीच 68.60 प्रतिशत किसानों को ऋण मिला। दो माह से तीन माह के बीच 26.74 प्रतिशत किसानों को ऋण मिला। तीन माह से चार माह के बीच 4.07 प्रतिशत किसानों को ऋण मिला। इस अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि एक माह के अन्दर मुश्किल से किसी किसान को ऋण मिल पाता है।

तालिका–26

बैंक किस वार्षिक दर से किसान से ब्याज वसूलता है।

	संख्या	प्रतिशत
6 प्रतिशत	1	0.55
7 प्रतिशत	138	75.82
8 प्रतिशत	1	0.55
9 प्रतिशत	2	1.10
11 प्रतिशत	24	13.19
12 प्रतिशत	9	4.95
13 प्रतिशत	5	2.75
16 प्रतिशत	1	0.55
35 प्रतिशत	1	0.55

इस अध्ययन के माध्यम से हमने यह जानने की कोशिश की कि किसानों को यह मालूम है या नहीं कि उन्हें किस दर से ऋण मिला हैं। इस अध्ययन से यह निकल कर आया की 75.82 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उनसे 7 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण दिया गया। 13.19 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उनसे 11 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण दिया गया। 4.95 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उन्हें 12 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया गया। 13 प्रतिशत किसानो ने बताया की उन्हें 2.75 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण दिया गया। इस अध्ययन से यह निकल कर आया की अधिकतर किसानों को यह नहीं मालूम की उनसे ऋण पर ब्याज किस दर से वसूला गया।

तालिका–27

ऋण से प्राप्त राशि ब्याज सहित सही समय पर चुका पाते है

	संख्या	प्रतिशत
हां	182	91.00
नही	18	9.00

इस अध्ययन से हमने यह जानने की कोशिश की कि किसान ऋण चुका पाते है या नहीं। इस अध्ययन से यह निकल कर आया की 91.00 प्रतिशत किसान बैंक के लिए गए ऋण को चुका पाते है लेकिन अभी भी 9 प्रतिशत ऐसे किसान है जो ऋण नहीं चुका पाते।

तालिका–28

सही समय पर ऋण नहीं चुकाने का कारण

	संख्या	प्रतिशत
कम उत्पादन तथा खराब आर्थिक स्थिति	15	83.33
आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण	3	16.67

इस अध्ययन से हमने यह जानने की कोशिश की कि जो किसान समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ उसका क्या कारण हैं। इस अध्ययन से यह सामने आया कि 83.33 प्रतिशत किसान कम उत्पादन तथा खराब आर्थिक स्थिति के कारण बैंक का ऋण समय पर नहीं चुका पाते। 16.67 प्रतिशत किसान आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ऋण नहीं चुका पाते हैं। इन किसानों की पहले आर्थिक स्थिति सही थी।

तालिका–29

वित्तिय संस्थान द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की

	संख्या	प्रतिशत
हां	6	3.00
नही	194	97.00

इस अध्ययन से हमने यह भी जानने की कोशिश कि क्या बैंक समय पर ऋण नहीं चुकाने पर कोई कानूनी कार्यवाही करते हैं। इस अध्ययन से यह निकल कर आया की 97 प्रतिशत किसानों ने बताया कि ऋण नहीं चुकाने पर बैंक ने कोई कार्यवाही नहीं की तथा 3 प्रतिशत किसानों ने बताया की बैंक ने उन पर कार्यवाही की।

अध्ययन क्षेत्र में फसल के लिए गैर–संस्थागत की ऋण स्थिति

तालिका–30

गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण

	संख्या	प्रतिशत
हां	101	50.50
नही	99	49.50

इस अध्ययन से हमने यह भी जानने की कोशिश की क्या आप गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण लेते हैं। इस अध्ययन से यह निकलकर आया कि 50.50 प्रतिशत किसानो ने बताया कि वे गैर–संस्थागत माध्यमों में ऋण लेते है तथा 49.50 किसान गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण नहीं लेते हैं। गैर–संस्थागत माध्यम से ऋण लेने वाले किसानों में कुछ वे किसान भी सम्मलित है जो संस्थागत एवं गैर–संस्थागत माघ्यमों से ऋण लेते हैं। दोनों जगह से ऋण लेने का कारण यह हैं कि उन्हे अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण नही मिल पाता है इस लिए उन्हे दोनो जगह से ऋण लेना पड़ता हैं। तालिका 30 से स्पष्ट है कि अभी भी किसानों को संस्थाऐं पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं करा पाती हैं या आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता हैं।

तालिका–31

गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण लेने का कारण

	संख्या	प्रतिशत
घरेलू व कृषि आय पर	78	77.23
बैंक सहकारी समितियों में समय अधिक लगता है	9	8.91
कृषि कार्य के लिए	8	7.92
घरेलू कार्यो के लिए	4	3.96
आवश्यकतानुसार ऋण नहीं मिलले तथा समय पर	2	1.98

ऋण उपलब्ध नहीं होने के कारण ?

इस अध्ययन से हमने यह भी जानने की कोशिश की कि किसान गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण क्यों लेते हैं। 77.23 प्रतिशत किसानों ने बताया की घरेलू व कृषि आय कम होने पर इनकी पूर्ति के लिए गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण लेते हैं। क्योंकि इस तरह के कार्य के लिए संस्थागत ऋण नहीं मिलते। इसलिए गैर–संस्थागत ऋण लिया जाता हैं। 7.92 प्रतिशत किसानों ने बताया कि वे कृषि कार्य के लिए गैर–संस्थागत ऋण लेते हैं। 3.96 प्रतिशत किसानों ने बताया कि वे घरेलू कार्य के लिए

गैर– संस्थागत ऋण लेते हैं। 1.98 प्रतिशत किसानों ने बताया की आवश्यकतानुसार ऋण नहीं मिलने के कारण तथा समय पर ऋण उपलब्ध नहीं होने के कारण वे गैर–संस्थागत माध्यम से ऋण लेते हैं।

तालिका–32

गैर–संस्थागत माध्यमों से किस ब्याज दर पर ऋण लेते है

	संख्या	प्रतिशत
12 प्रतिशत (1 रू. सैकडा प्रति माह)	3	1.54
12 से 24 प्रतिशत (1 रू. से 2 रू. सैकडा प्रतिमाह) के बीच	52	26.15
24 प्रतिशत (2 रू. सैकडा प्रतिमाह से) ज्यादा	18	9.23
अन्य कोई पता नहीं	126	63.08

इस अध्ययन में जब किसानों से यह मालूम किया गया कि किसान किस दर से ऋण लेता है तो यह निकलकर आया कि 1.54 प्रतिशत किसानों ने बताया कि वे 12 प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण लेते हैं। 26.25 प्रतिशत किसानों ने बताया कि वे 12 से 24 प्रतिशत की दर से ऋण लेते हैं। 9.23 प्रतिशत किसानों ने बताया कि वे 24 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज देते हैं तथा 63.08 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उन्हे नही मालूम की वे किस दर से ब्याज देते हैं।

मात्र 15.5 प्रतिशत किसानों ने बताया कि जब वे गैर–संस्थागत माध्यम से ऋण लेते हैं तो उनसे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाते हैं तथा 84.5 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उनसे किसी ने कोई खाली कागज पर हस्ताक्षर नही करवाए।

तालिका–33

ऋण प्राप्ति हेतु वस्तु गिरवी रखते हैं

	संख्या	प्रतिशत
हां	4	2.00
नही	196	98.00

इस अध्ययन में हमने यह भी मालूम किया की किसान गैर–संस्थागत ऋण प्राप्ति हेतु किसी वस्तु को गिरवी रखते हैं तो 98.00 प्रतिशत किसानों ने बताया की वे गिरवी नही रखते हैं तथा 2 प्रतिशत किसानों ने बताया वे गिरवी रखते हैं।

तालिका–39

ऋण को नियत समय पर लौटा पाते है

	संख्या	प्रतिशत
हां	179	89.50
नही	21	10.50

इस अध्ययन से हमने यह भी मालूम किया की क्या आप गैर संस्थागत ऋण नियत समय पर लौटा पाते है तो 89.50 प्रतिशत किसानों ने बताया की हम नियमित समय पर लौटा पाते है तथा 10.50 प्रतिशत किसानों ने बताया की हम नहीं लौटा पाते हैं।

तालिका–40

ऋण राशि का अधिकतम उपयोग

	संख्या	प्रतिशत
कृषि सम्बंधित कार्यों के लिए	150	75.00
पिछले ऋण/ब्याज राशि को चुकाने मे	10	5.00
अन्य घरेलू कार्यो में	40	20.00

इस अध्ययन से हमने यह भी जानने की कोशिश की किसान कृषि उत्पादन के लिए गए ऋण का कहाँ उपयोग करता हैं। इस अध्ययन से यह निकलकर आया की 75.00 प्रतिशत किसान इस ऋण का उपयोग कृषि सम्बन्धी कार्यो के लिए करते हैं। 5 प्रतिशत किसान इस ऋण का उपयोग पिछला ऋण/ब्याज चुकाने के लिए करते है तथा 20 प्रतिशत किसान इस ऋण का उपयोग अन्य घरेलू कार्य के लिए करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में फसल उत्पादन लागत की स्थिति

तालिका–41

कृषि किस विधि द्वारा करते है

	संख्या	प्रतिशत
पुराने तौर तरीकों तथा विधियों के अनुसार	97	48.50
नई जैविक कृषि विधि तथा आधुनिक मशीनों के द्वारा	38	19.00
उपरोक्त दोनो विधियों के अनुसार	55	27.50
अन्य किसी विधि से	10	5.00

इस अध्ययन से हमने यह भी निकालने की कोशिश कि आप कृषि उत्पादन किस विधि द्वारा करते हैं। तो 48.50 प्रतिशत किसानों ने बताया कि वे पुराने तौर तरीकों तथा विधि के अनुसार खेती करते हैं। 19.00 प्रतिशत किसानों ने बताया की वे नई जैविक कृषि विधि तथा आधुनिक मशीनों के द्वारा खेती करते हैं। उपरोक्त दोनों विधियों के अनुसार खेती 27.50 प्रतिशत किसान करते हैं तथा अन्य किसी विधि से 5.00 प्रतिशत किसान खेती करते हैं। इस अध्ययन से निकलकर आया की अभी भी आधे से अधिक किसान पुराने तरीके से खेती करते हैं। उन्हें प्रेरित नहीं किया गया कि आधुनिक तरीके से खेती कैसे की जाती हैं।

तालिका–42

खरीफ फसल की प्रति बीघा औसत लागत एवं आय

फसल	**लागत (राशि रू. में)**	**आय (राशि रू. में)**
बाजरा	1655	1650
कपास	12400	18000
मूंग	975	1000
मक्का	3280	3500
मोठ	1600	1650
मुंगफली	12748	12955
मिर्ची	1210	1235
तिल	2200	2250
सोयाबीन	2223	2310

फसल	लागत (राशि रू. में)	आय (राशि रू. में)
उडद	1692	1690
चवला	1126	1225
तुअर	1557	1550
ज्वार	3346	3400
अलसी	1705	1755
ग्वार	4596	4610

इस अध्ययन से यह भी निकालने की कोशिश की गई कि खरीफ की फसल प्रति बीघा औसतन कितना व्यय किया जाता हैं। यह निकल कर आया की बाजरे के लिए प्रति बीघा औसत लागत 1655 रूपये हैं। कपास के लिए प्रति बीघा औसत लागत 1650 रूपये हैं। मूंग के लिए प्रति बीघा औसत लागत 975 रूपये हैं। मक्का के लिए प्रति बीघा औसत लागत 6778 रूपये हैं। मोठ के लिए प्रति बीघा औसत लागत 6670 रूपये हैं। मूंगफली के लिए प्रति बीघा औसत लागत 12748 रूपये हैं। मिर्ची के लिए प्रति बीघा औसत लागत 121061 रूपये हैं। तिल के लिए प्रति बीघा औसत लागत 2223 रूपये, उडद के लिए प्रति बीघा औसत लागत 1692 रूपये हैं। चवला के लिए प्रति बीघा औसत लागत 1126 रूपये, तुअर के लिए प्रति बीघा औसत लागत 15569 रूपये, ज्वार के लिए प्रति बीघा औसत लागत 3346 रूपये, अलसी के लिए प्रति बीघा औसत लागत 1705 रूपये तथा ग्वार के लिए प्रति बीघा औसत लागत 4596 रूपये हैं।

इसी प्रकार इस अध्ययन से हमने यह निकालने की कोशिश किया की खरीफ फसल की प्रति बीघा औसत आय क्या हैं। इस अध्ययन से यह निकलकर आया की बाजरा के लिए प्रति बीघा औसत आय 1650 रूपये, कपास के लिए प्रति बीघा आय लागत 18000 रूपये, मूंग के लिए प्रति बीघा औसत आय 1000 रूपये, मक्का के लिए प्रति बीघा औसत आय 3500 रूपये, मोठ के लिए प्रति बीघा औसत आय 1650 रूपये, मुंगफली के लिए प्रति बीघा औसत आय 12955 रूपये, मिर्ची के लिए प्रति बीघा औसत आय 1235 रूपये, तिल के लिए प्रति बीघा औसत आय 2250 रूपये, सोयाबीन के लिए प्रति बीघा औसत आय 2310 रूपये, उड़द के लिए प्रति बीघा औसत आय 1690 रूपये, चवला के लिए प्रति बीघा औसत आय 1225 रूपये, तुअर के लिए प्रति बीघा औसत आय 1550 रूपये, ज्वार के लिए प्रति बीघा औसत आय 3400 रूपये, अलसी के लिए प्रति बीघा औसत आय 1755 रूपये तथा ग्वार के लिए प्रति बीघा औसत आय 4610 रूपये हैं।

तालिका–43

रबी फसल की प्रति बीघा औसत लागत एवं आय

फसल	लागत (राशि रू.में)	आय (राशि रू.में)
धनीया	11250	14000
इसबगोल	2279	4000
मैथी	6700	8000
सरसों	7524	8500
चना	2706	3000
जीरा	3750	5000
जौं	3740	4000
अरण्डी	1266	2400
गैहूं	5175	5500
गन्ना	1692	1800

इसी प्रकार इस अध्ययन से हमने यह निकालने की कोशिश की कि रबी फसल की प्रति बीघा औसत लागत क्या है तो इस अध्ययन से यह निकलकर आया की धनिया के लिए प्रति बीघा औसत लागत 11250 रूपये, इसबगोल के लिए प्रति बीघा औसत लागत 2279 रूपये, मैथी के लिए प्रति बीघा औसत लागत 6700 रूपये, सरसों के लिए प्रतिबीघा औसत लागत 7524 रूपये,चना के लिए प्रति बीघा औसत लागत 2706 रूपये, जीरा के लिए प्रति बीघा औसत लागत 3750 रूपये, जौ के लिए प्रति बीघा औसत लागत 3740 रूपये, अरण्डी के लिए प्रति बीघा औसत लागत 1266 रूपये, गेहूँ के लिए प्रति बीघा औसत लागत 5175 रूपये तथा गन्ना के लिए प्रति बीघा औसत लागत 1692 रूपये हैं।

इस अध्ययन से हमने यह भी निकालने की कोशिश की कि रबी की प्रति बीघा औसतन कितनी आय प्राप्त हुई। इस अध्ययन से यह निकलकर आया की धनीया से प्रतिबीघा 14000 रूपये आय प्राप्त हुई। इसफगोल से प्रतिबीघा 4000 रूपये की आय प्राप्त हुई। मैथी से प्रतिबीघा औसत 8000 रूपये आय प्राप्त हुई। सरसों से प्रतिबीघा 8500 रूपये की आय प्राप्त हुई, चना से प्रतिबीघा 3000 रूपये की आय प्राप्त हुई, जीरा से प्रति बीघा औसतन 5000 रूपये की आय प्राप्त हुई। जौ से प्रतिबीघा 4000 रूपये की आय प्राप्त हुई। अरण्डी से प्रतिबीघा 2400 रूपये की आय प्राप्त हुई। गेहूँ से प्रति बीघा 5500 रूपये की आय प्राप्त हुई तथा गन्ना से प्रतिबीघा 1800 रूपये की आय प्राप्त हुई।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह निकल कर आया कि अध्ययन क्षेत्र में

- सामान्य श्रेणी के 8.50 प्रतिशत, ओबीसी के 46.00 प्रतिशत, एससी के 26.00 प्रतिशत तथा एसटी के 19.00 प्रतिशत किसान हैं।
- 44.00 प्रतिशत किसान निरक्षर हैं। 21.00 प्रतिशत किसान साक्षर है जो केवल हस्ताक्षर कर सकते हैं। 5.5 प्रतिशत किसानों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की हैं। 65 प्रतिशत किसानों ने उच्च माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की हैं। 9.50 प्रतिशत किसानों ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हैं। 13.50 प्रतिशत किसानों ने उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की हैं। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभी भी किसानों का एक बडा समूह निरक्षर होने के कारण खेती के आधुनिक तरीके नहीं अपना रहा हैं।
- 64 प्रतिशत सिंचाई कुओं द्वारा होती हैं। शेष सिंचाई अन्य साधनों द्वारा होती हैं।
- रबी की फसल की बुवाई केवल 3 प्रतिशत किसान करते है, जबकि खरीफ फसल की बुवाई 21 प्रतिशत किसान करते है तथा रबी एवं खरीफ फसल की बुवाई 76 प्रतिशत किसान करते हैं।
- 19.50 प्रतिशत किसान स्वयं की जमा पूंजी से, 76.50 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं से, 3 प्रतिशत गैर संस्थागत माध्यम से, 1 प्रतिशत अन्य किसी माध्यम से कृषि कार्य के लिए धन की व्यवस्था करते हैं।
- दस हजार से पचास हजार रू ऋण के लिए 87 प्रतिशत किसानों ने आवेदन किया। पचास हजार से अधिक ऋण राशि के लिए 13.74 प्रतिशत किसानों ने आवेदन किया।
- 27.93 प्रतिशत किसानों ने ऋण के लिए मई में आवेदन किया। 18.99 प्रतिशत किसानों ने जून में आवेदन किया। 17.88 प्रतिशत किसानों ने मार्च में आवेदन किया। इस प्रकार इस अध्ययन से यह निकलकर आया कि किसानों को यह मालूम नहीं कि ऋण के लिए कब आवेदन करना चाहिए।
- एक माह के अन्दर 1 प्रतिशत से कम किसानों को ही ऋण मिला। एक माह से दो माह के बीच 68.60 प्रतिशत किसानों को ऋण मिला। दो माह से तीन माह के बीच 26.74 प्रतिशत किसानों को ऋण मिला। तीन माह से चार माह के बीच 4.07 प्रतिशत किसानों को ऋण मिला। इस अध्ययन से यह निकल कर आया कि एक माह के अन्दर मात्र 1 प्रतिशत किसानों को ही ऋण मिला।
- इस अध्ययन से यह निकल कर आया की 75.82 प्रतिशत किसानों को बैंक ने 7 प्रतिशत

ब्याज दर से ऋण दिया। 13.19 प्रतिशत किसानों को 11 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण दिया गया। 4.95 प्रतिशत किसानों को 12 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया गया। 13 प्रतिशत किसानो को 2.75 प्रतिशत ब्याज दर से ऋण दिया गया। इस अध्ययन से यह निकल कर आया की अधिकतर किसानों को यह नहीं मालूम की उनसे ऋण पर ब्याज किस दर से वसूला गया।

- इस अध्ययन से यह निकल कर आया की 91.00 प्रतिशत किसान बैंक से लिए गए ऋण को चुका पाते है लेकिन अभी भी 9 प्रतिशत ऐसे किसान है जो ऋण को नहीं चुका पाते हैं।
- इस अध्ययन से यह निकलकर आया कि 50.50 प्रतिशत किसान गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण लेते है तथा 49.50 किसान गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण नहीं लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि अभी भी किसानों को संस्थाऐं पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं करा पाती हैं या आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है।
- 77.23 प्रतिशत किसान घरेलू व कृषि आय कम होने पर इसकी पूर्ति के लिए गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण लेते हैं। 7.92 प्रतिशत किसान कृषि कार्य के लिए गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण लेते हैं। 3.96 प्रतिशत किसान घरेलू कार्य के लिए गैर– संस्थागत माध्यमों से ऋण लेते हैं। 1.98 प्रतिशत किसान आवश्यकतानुसार ऋण नहीं मिलने के कारण तथा समय पर ऋण उपलब्ध नहीं होने के कारण गैर–संस्थागत माध्यम से ऋण लेते हैं।
- इस अध्ययन में जब किसानों से यह मालूम किया गया कि किसान किस दर पर गैर–सस्थांगत माध्यम से ऋण लेता है तो यह निष्कर्ष निकलकर आया कि 1.54 प्रतिशत किसान 12 प्रतिशत की ब्याज दर से, 26.25 प्रतिशत किसान 12 से 24 प्रतिशत की दर से एवं 9.23 प्रतिशत किसान24 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज अपने ऋण पर देते हैं तथा 63.08 प्रतिशत किसानों ने बताया कि उन्हे नही मालूम की वे किस दर से ब्याज देते हैं।
- 48.50 प्रतिशत किसान पुराने तौर तरीकों तथा विधि के अनुसार खेती करते हैं। केवल 19.00 प्रतिशत किसान नई जैविक कृषि विधि तथा आधुनिक मशीनों के द्वारा खेती करते हैं। उपरोक्त दोनों विधियों के अनुसार खेती 27.50 प्रतिशत किसान खेती करते हैं तथा अन्य किसी विधि से 5.00 प्रतिशत किसान खेती करते हैं। इस अध्ययन से निकलकर आया की अभी भी आधे से अधिक किसान पुराने तरीके से खेती करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि आधुनिक तकनीक से खेती कैसे की जाती हैं।
- 93 प्रतिशत किसानों की वार्षिक आय पचास हजार तक हैं। 3 प्रतिशत किसानों की उनकी वार्षिक आय पचास हजार से एक लाख तक हैं तथा 4 प्रतिशत किसानों की वार्षिक आय एक लाख से अधिक हैं।

सुझाव

- अध्ययन किए गए क्षेत्र में लगभग 45 प्रतिशत किसान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसान हैं। इनकी आजीविका खेती पर पुर्णतयः निर्भर हैं। अतः सरकार को इनकी आजिवीका को सुरक्षित रखनें के लिए क्षेत्रीय फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- राज्य में लगभग 35 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र हैं तथा शेष क्षेत्र वर्षा आधारित हैं। अतः सरकार को वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए खेती के साथ पशुपालन को भी बढावा देना चाहिए जिससे अभाव ग्रस्त की में वर्षा आधारित क्षेत्र के किसानों की आजीविका प्रभावित न हों
- अध्ययन किए गए क्षेत्र में लगभग 80 प्रतिशत किसान ऋण लेकर खेती करतें है लेकिन अधिकतर किसान इस ऋण का उपयोग उनुत्पादक कार्य (घरेलु उपयोग) के लिए करते हैं। अतः किसानों को ऋण का अधिक से अधिक भाग खेती में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे किसान की आय में वृद्धि को सके।
- अध्ययन के अनुसार अधिकतर किसानों को बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया के बारे में मालूम नही है उन्हे नही मालुम कब ऋण के लिए आवेदन करना चाहिए। उन्हे नही मालुम इस ऋण का कैसे उपयोग करे। अतः सरकार को ऋण प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना चाहिए।
- अध्ययन के अनुसार अभी भी लगभग 50 प्रतिशत किसान गैर–संस्थागत माध्यमों से ऋण लेते हैं क्योंकि अभी भी बैंको की सभी किसानों तक पहुंच नहीं हैं।
- अध्ययन के अनुसार किसानों को विभिन्न ब्याज दर से ऋण दिया जाता हैं। इसमें छोटे किसान के लिए कोई अलग से प्रावधान नही हैं। राज्य में 70 प्रतिशत छोटी जोत के किसान हैं इनका कृषि उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान हैं। अतः सरकार को छोटे किसानों के लिए ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था करनी चाहिए।
- इस अध्ययन से निकलकर आया की अभी भी आधे से अधिक किसान पुराने तरीके से खेती करते हैं। उन्हें नहीं मालूम की आधुनिक तकनिक से खेती कैसे की जाती हैं। सरकार को खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए।

  इस के अलावा पहले ऋण प्राप्त करने में ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था पर आजकल गांवों में ही बैंक खुलने, तथा ऋण देने वाली संस्थाओं का विस्तार हुआ है जिससे किसानों को कुछ आसानी से ऋण प्राप्त हो रहा है, लेकिन अभी भी और द्रुतगामी गति से प्रयास करने की आवश्यकता हैं। आज जरूरत इस बात की है उत्पादक ऋण किसान को आसानी से कम ब्याज दर पर मिले तथा किसान द्वारा और अनुत्पादक व्यय में कमी की जाए।

अनुभव

जैसलमेर एव गगांनगर के किसानों की अलग–अलग समस्या हैं। जैसलमेर आजीविका के अनुसार दो भागों में विभाजित हैं। सिंचित क्षेत्र एवं असिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र वह क्षेत्र है जो नहर द्वारा सिंचाई होती हैं। यहां के किसान की आजीविका मुख्य रूप से खेती एवं पशुपालन पर निर्भर हैं। नहरी क्षेत्र होने के कारण किसान खेती के साथ पशुपालन करके अपनी आजीविका चलाता हैं। नहरी क्षेत्र के किसान दो तरह के है खातेदार एवं गैर–खातेदार किसान। खातेदार किसान बैंक से ऋण ले सकता हैं गैर–खातेदार किसान ऋण नही ले सकता लेकिन जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में अधिकतर किसान खातेदार है लेकिन वहां के खातेदार किसान ऋण नही लेते हैं। वहां के किसान स्वयं के पैसे से खेती करते हैं। ऋण लेने के लिए किसान को बार – बार बैंक के चक्कर लगाने पडतें हैं इस लिए अधिक्कतर किसान बैक से ऋण लेना पसदं नही करता। इस के अतिरिक्त वहां गैर – खातेदार किसान हैं। इन किसानों को वहां बैंक से लघु–ऋण नही मिलता।

इस के अलावा जैसलमेर असिंचिंत क्षेत्र जो नहरी नही हैं। वहां के किसानों की एक अलग ही समस्यां हैं। वहां के किसान के पास सिंचाई साधन नही हैं खेती होती नही हैं। खेती नही होने के कारण पशुपालन भी नही होता क्योंकि पशुओं के लिए चारे की समस्या हैं। वहां के किसान के सामने बडी विचित्र समस्या हैं। वह क्या करे अपनी आजिवीका के लिए। एक तो गांव शहर से बहुत दूर हैं दुसरा वहां जाने के साधन नही हैं। नहरी क्षेत्र नही होने के कारण किसान बहुत ही पिछडें हैं। वहां पर स्वास्थ, शिक्षा, पेयजल जैसी जरूरी सेवाओं का अभाव हैं। यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हैं। इस असिंचित क्षेत्र में किसान ऋण नही लेता क्योंकि वहां खेती ही नही होती। वहां का किसान रोजगार की तलाश में पलायन करता हैं।

इसी प्रकार गगांनगर में किसानों की अलग समस्या हैं। क्योंकि गगांनगर नहरी क्षेत्र होने के कारण यहां खेती अच्छी होती हैं। यहां पर बडें किसान हैं जिनके पास 2–3 मुरब्बे हैं। यहां अधिक्तर किसान लघु ऋण नही लेते क्योंकि यहां के किसान अपनी खेती से इतनी बचत कर पाते हैं जिससे उन्हे ऋण नही लेना पड़ता। ये बड़े किसान अपनी आर्थिक एवं राजनैतिक पहुंच के कारण छोटे किसान के नहरी पानी के हक को अपने खेत में सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। छोटे किसान के पास सिंचित भूमि होने के बाद भी को नहरी पानी छोटे किसान को कई दिनों तक नही मिल पाता।

संसाधनों का सही उपयोग एवं लाभदायक खेती के लिए किसान को फार्म–योजना एवं फार्म–बजट बनाने की आवश्यकता

पहले कृषक कृषि को व्यवसाय के रूप में न लेकर, जीविकोपार्जन के साधन के रूप में लेते थे, अतः उस समय में कृषक कृषि–व्यवसाय की सफलता के लिए अधिक चिन्तित नहीं थे लेकिन वर्तमान में कृषि ने व्यवसाय का रूप ले लिया हैं। यदि किसान लाभदायक खेती करना चाहता है तो किसान को कुछ प्रयास करने होगें। इसके लिए किसान को कृषि पर होने वाली लागत, आय व शुद्ध लाभ का ज्ञान होना आवश्यक हैं। यह ज्ञान कृषकों को तभी प्राप्त हो सकता है जब वे फार्म–व्यवसाय की नियमित योजना बनाएँ और प्रत्येक कार्य का पूरा लेखा–जोखा रखें। किस कार्य के लिए कितना व्यय हुआ तथा किस मद से कितनी आय हुई। ऐसा करने से किसान को मालुम हो जाता हैं कि इस कार्य से उसे लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा हैं। इससे वह लाभ बढाने के लिए प्रयास करेगा। अतः कृषि–व्यवसाय की सफलता के लिए फार्म–योजना बनाना आवश्यक हैं।

फार्म–योजना बनाना वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान के प्रसार एवं कृषकों द्वारा तकनीकि ज्ञान के अधिक उपयोग के कारण भी आवश्यक हो गया हैं। तकनीकी ज्ञान के उपयोग से फार्म–व्यवसाय की आय एवं लागत पर प्रभाव पड़ता हैं। अतः तकनीकी ज्ञान के प्रसार की अवस्था में फार्म से अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए कृषकों द्वारा फार्म–योजना एवं बजट बनाना आवश्यक हैं।

कृषकों के लिए फार्म–योजना एवं फार्म–बजट बनाना उतना ही आवश्यक है जितना एक भवन–निर्माण के ठेकेदार के लिए भवन के ब्ल्यूप्रिण्ट का बनवाना आवश्यक होता हैं। फार्म–योजना कृषक को क्रमबद्ध विधि से फार्म पर कार्य करने की सलाह देती है, जिससे कार्य करने में त्रुटि नहीं होती है एवं कार्य की लागत भी कम आती है।

क्या है फार्म–योजना एवं फार्म–बजट ?

फार्म–योजना– फार्म –योजना, कृषक द्वारा फार्म पर किये जाने वाले कृषि–कार्यों की सूची होती है, जिसमें फार्म पर आगामी वर्ष ये मौसम में उत्पन्न की जाने वाली फसलों, उनके अन्तर्गत क्षेत्रफल, उपयोग किये जाने वाले उत्पादन–साधनों, जैसे–बीज,खाद, उर्वरक, सिंचाई आदि की पूर्ण जानकारी होती हैं। फार्म के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाने की क्रिया को फार्म–योजना कहते हैं। दुसरे शब्दों में फार्म–योजना बनाने से तात्पर्य वर्तमान फार्म–व्यवस्था में त्रुटियों एवं उन्हें सुधारने के तरीकों का पता लगाने से है, जिससे फार्म की भावी योजना अधिकतम लाभ प्रदान करने वाली हो सके।

फार्म योजना बनाने का मुख्य उद्धेश्य कृषक को फार्म से प्राप्त होने वाली आय को अधिकाधिक बढ़ाना हैं। कृषक फार्म की योजना एक मौसम, एक वर्ष या अधिक समय के लिए तैयार कर सकते हैं। साधारणतया फार्म – योजना एक से अधिक वर्षों के लिए तैयार नहीं की जाती, क्योंकि उत्पादन की विधियों ,उत्पादन–साधनों तथा कृषिगत वस्तुओं की कीमतो में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण निर्मित योजना में उपर्युक्त परिवर्तनों के साथ–साथ परिवर्तन करना होता हैं।

फार्म–बजट – फार्म बजट, फार्म–योजना के विश्लेषण की विधि है, जिसके अन्तर्गत फार्म–योजना की सभी क्रियाओं पर कितना व्यय होगा, मालुम किया जाता हैं। फार्म–बजट, फार्म–योजना से प्राप्त होने वाली कुल आय, लागत एवं लाभ आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती हैं। फार्म–बजट से कृषक को ज्ञात हो जाता है कि फार्म पर कौनसी फसल अपनाने से, उत्पादन की कौनसी विधि अपनाने से एवं उत्पादन–साधन की कितनी मात्रा के उपयोग से कितना लाभ प्राप्त होता हैं। फार्म–बजट, फार्म –योजना के अनुसार भविष्य में व्यय एवं प्राप्त होने वाली आय की योजना को बताता हैं।

किसान क्रडिट कार्ड योजना तहत तक जारी किए गए कार्ड एवं वितरित ऋण राशि

	वर्ष	जारी किए गय कार्ड	राशि वितरित
1	1998–99	1.51	
2	1999–00	8.87	1479.22
3	2000–01	4.93	1129.24
4	2001–02	3.10	2108.34
5	2001–02	1.84	1724.68
6	2002–03	5.77	1263.59
7	2003–04	8.75	3610.55
8	2004–05		
9	2005–06		
10	2006–07	2.64	1873.45
11	2007–08		
12	2008–09	4.75	2855.61
13	2009–10	8.56	2998.32